| आदेश तारीख | आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर | आदेश की पालना में की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 10/6/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2024 प्राथमिक डिक्री जारी कर प्रतिवादी सं. –6 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया गया था राज. काश्त. नियम के अनुसार 18 से 21 अनुसार स्वयं खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार इस न्यायालय को भिजवावें।<br><br>कार्यालय तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ ने कमांक भू.अ. /2025/1246 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा प्रकरण में वर्णीत कृषि भूमि का सह काश्तकारान की सहमती के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया है। शामिल पत्रावली किया गया है विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादी को बंटवारा में निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई।<br><br>**वादी धमेन्द्रसिंह पुत्र श्रीचन्द का हिस्साः–**<br>चक–5 एच का पत्थर नं.–120/27 का मुरब्बा नं.–13 किला नं. –1 मे 0.227 हैक्टेयर, किला नं.–2 में 0.083 हैक्टेयर, किला 9 में 0.083 हैक्टेयर, किला नं.–10 में 0.227 हैक्टेयर, किला नं.–11 का 0.228 हैक्टेयर, किला नं.–12 का 0.083 हैक्टेयर, किला नं. –19 का 0.083 हैक्टेयर, किला नं.–20 का 0.228 हैक्टेयर, किला नं.–21 का 0.177 हैक्टेयर, किला नं.–22 का 0.067 कुल 1.486 हैक्टेयर।<br><br>**प्रतिवादी सं.–2 राजेन्द्रसिंह पुत्र श्रीचन्द का हिस्साः–**<br>चक–5 एच का पत्थर नं.–120/27 का मुरब्बा नं.–13 किला नं. –4 मे 0.056 हैक्टेयर, किला नं.–5 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–6 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–7 में 0.056 हैक्टेयर, किला नं.–14 का 0.056 हैक्टेयर, किला नं.–15 का 0.253 हैक्टेयर, किला नं. –16 का 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–17 का 0.056 हैक्टेयर, किला नं.–24 का 0.047 हैक्टेयर, किला नं.–25 का 0.203 कुल 1.486 हैक्टेयर।<br><br>**प्रतिवादी सं.–3 परमेंन्द्रसिंह पुत्र श्रीचन्द का हिस्साः–**<br>चक–5 एच का पत्थर नं.–120/27 का मुरब्बा नं.–13 किला नं. –2 मे 0.170 हैक्टेयर, किला नं.–3 में 0.140 हैक्टेयर, किला 8 में 0.140 हैक्टेयर, किला नं.–9 में 0.170 हैक्टेयर, किला नं.–12 का 0.170 हैक्टेयर, किला नं.–13 का 0.140 हैक्टेयर, किला नं.–18 का 0.140 हैक्टेयर, किला नं.–19 का 0.170 हैक्टेयर, किला नं. –22 का 0.135 हैक्टेयर, किला नं.–23 का 0.111 कुल 1.486 हैक्टेयर।<br><br>**प्रतिवादी सं.–4 सुशीला पत्नी रामकरण का हिस्साः–**<br>चक–5 एच का पत्थर नं.–120/27 का मुरब्बा नं.–13 किला नं. –3 मे 0.113 हैक्टेयर, किला नं.–4 में 0.197 हैक्टेयर, किला नं.–7 में 0.197 हैक्टेयर, किला नं.–8 में 0.113 हैक्टेयर, कि.नं. 13 का 0. 113 हैक्टेयर, किला नं.–14 का 0.197 हैक्टेयर, किला नं.–17 का 0.197 हैक्टेयर, किला नं.–18 का 0.113 हैक्टेयर, किला नं.–23 का 0.091 हैक्टेयर, किला नं.–24 का 0.156 हैक्टेयर कुल 1.487 हैक्टेयर। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh K Rao
Date: 2025.10.07 17:22:55 I
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के समक्ष एवं इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने उपरांत किसी पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है। फलतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किए जाने में कोई विधिक बाधा नही है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है तथा वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## :: आदेश ::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

**सुरेश राव**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अनूपगढ़**

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested